


संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/1253

भोपाल, दिनांक 28/07/2020

—: आदेश :-

प्रदेश में कोविड-19 के कम गंभीर मरीजों को विशेष स्थिति में प्लाज्माफैरेसिस के माध्यम से Convalescent Plasma दिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने एवं मॉनिटरिंग किये जाने हेतु राज्य स्तर पर राज्य नोडल अधिकारी परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल होंगे। राज्य नोडल अधिकारी, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल Convalescent Plasma थैरेपी हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों के ब्लड सेंटर्स के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।



(फौज अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पु.क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/1254

भोपाल, दिनांक 28/07/2020

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
6. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
8. अपर संचालक (आई.डी.एस.पी.) स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
10. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।


प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग